

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
= = = = =

क्रमांक - एफ 73- 43 /20-3/2004

भोपाल, दिनांक - 21 /07- 2004

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार- नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय-भारथोमा ग्राम ज्योति स्कूल-छितीला तिहोरा, जबलपुर, म.प्र.,
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु
एन.ओ. सी. देने बाबत ।

== 00 ==

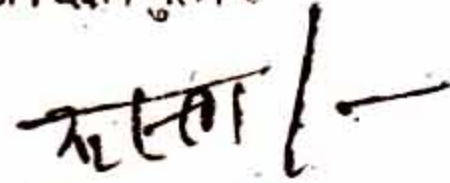
राज्य शासन द्वारा अशासकीय भारथोमा ग्राम ज्योति स्कूल-छितीला तिहोरा, जबलपुर,
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति

प्रमाण - पत्र विशेष प्रकृषण पत्राकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक [परिीक्षा] को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नोतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनित सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से जिन्हें कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. छेत्कूद गतिविधियों में यदि संस्था जाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परितर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



॥ आर.आर.अहिरवार ॥

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठ संकेत क्रमांक एफ 73- 43 /20-3/2004 भोपाल, दिनांक 21 /07-2004

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - जबलपुर [म.प्र.]।
3. प्राचार्य, अशाठ-आरथोमा ग्राम ज्योति स्कूल-खितौला तिहोरा, जबलपुर, म.प्र.
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित है।


21/7/04
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

